ल, शकर, चायपत्ती, मजबूत करना है।

के लिए 9,999 रुपए से डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस सुविधा

के शुभारंभ पर संचालकों को शुभकामनाएं दीं।

जिला बुरहानपुर म.प्र.

Bank of India

रिश्तों की जमापूंजी
Relationship beyond banking

आंचलिक कार्यालय : स्टार हाउस, प्लॉट 9-आरसी, स्कीम नं. 134, एम.आर.-10, स्टार चौराहे के पास, इन्दौर - 452010, फोन 2445122-117-147

अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

ई-नीलामी विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

आल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को और विशेष रुप से उधार लेने वाले/जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि निम्न वर्णित सारणी के कॉलम 3 में उल्लिखित अचल संपत्ति जो **प्रतिभूत लेनदार (बैंक ऑफ इंडिया)** के पास गिरवी/प्रभारित है, जिसका सांकेतिक/भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहां है ,जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित ऋणी एवं जमानतदारों से बैंक ऑफ इंड़िया (प्रतिभूत लेनदार) की निम्नलिखित तालिका के कॉलम 4 में उल्लिखित राशि की वसूली हेतु **दिनांक 26.11.2026** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं जमा योग्य अग्रिम धनराशि तालिका के कॉलम 6 व 7 में क्रमश: दी गई है।

ई-नीलामी दिनांक 26.11.2026 को प्रातः 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

शाखा का नाम (1)	ऋणी / जमानतदार का नाम (2)	संपत्ती का विवरण व स्वामी का नाम (3)	मांग सूचना 13(2) के तहत मांग नोटिस दिनांक व बकाया राशि (4)	आधिपत्य की दिनांक व प्रकार (5)	आरक्षित राशि (रू.) (6)	ईएमडी (7)
शाखा एआरबी इन्दौर	**1. मेसर्स चैतन्य ट्रेक्टर्स, प्रोपराईटर:- श्री रामभाऊ पाटिल पिता राजाराम पाटिल, पता:-** खाता नबर 672/11 रेणुका माता मंदिर रोड मोहम्मदपुरा जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश (450331), **श्री रामभाऊ पाटिल पिता राजाराम पाटिल (प्रोपराईटर-बंधककर्ता), श्री सावंत पाटिल पिता रामभाऊ पाटिल (जमानतदार), दोनों का पता 1:-** वार्ड नंबर 02, ग्राम नसीराबाद, पोस्ट बसाड, तहसील नेपानगर, जिला:- बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (450331), **पता 2:-** सी/ओ श्री अनिल गायकवाड, प्रतापपुरा, छोटी सब्जी मंडी के पास, जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (450331)	आवासीय संपत्ति के समस्त भू भाग व अंश प्लॉट नम्बर 80, सर्वे नंबर 75, 76, 77, 78 और 79, बंदोबस्त नंबर 138, नवकार नगर, गाँव बड़ा बुजुर्ग, तहसील और ज़िला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश; **संपत्ति मालिक:** श्री रामभाऊ पाटिल पिता राजाराम पाटिल, क्षेत्रफल 2216.50 वर्ग फीट या 205.99 वर्ग मीटर, **प्रॉपर्टी की चतुर्सीमा (सेल डीड के अनुसार): पूर्व:** प्लॉट नंबर 111, **पश्चिम:** कॉलोनी रोड, **उत्तर:** प्लॉट नंबर 81, **दक्षिण:** कॉलोनी रोड	03.06.2026 **₹83,09,414.60** + ब्याज एवं अन्य खर्च	24.09.2026 सांकेतिक	₹ **27.03** लाख	₹ **2.71** लाख

क्रेता के द्वारा स्टाम्प शुल्क, बिक्री प्रमाण पत्र शुल्क, पंजीकरण शुल्क, टी.डी.एस. सरकार को देय सभी वैधानिक बकाया, कर और दरों और संपत्तियों से संबंधित कोई अन्य खर्च, मौजूदा और भविष्य, दोनों के लिए देय होगा। बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम से ही जारी किया जाएगा।

ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाईट **https://baanknet.com** बोलीकर्ता **https://baanknet.com**, नियम व शर्तो की अधिक जानकारी हेतु शैक्षणिक वीडियो के साथ देख सकते है। बोलीकर्ता को पूर्व में ही बोली पंजीयन की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य है। नीलामी से संबंधित सभी जानकारी ई-नीलामी दिनांक से पहले ही प्राप्त कर लेने की सभी जवाबदारी बोलीकर्ता की रहेगी।

ए. सफल बोलीकर्ता को घोषणा के तुरंत बाद बिक्री मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) जमा करना होगा।
बी. नीलामी- बिक्री की कार्यवाही में बैंकिंग लेनदेन का समय समाप्त होने के पश्चात, खरीद मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) अगले कार्य दिवस तक जमा कराना होगा।
सी. बिक्री मूल्य की शेष राशि का भुगतान बिक्री की दिनांक से 15 वें (पंद्रहवें) दिन के भीतर जमा किया जाना होगा।
डी. उपर उल्लिखित अवधि के भीतर भुगतान न करने पर, जमा और बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा।
इ. सफल बोलीकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी की आयकर अधिनियम की धारा **194-IA** के तहत लागू 1% की दर से टीडीएस जमा करना होगा, यदि इस तरह के प्रतिफल के लिए जमा या भुगतान की गई राशि का योग रु. 50 लाख या अधिक है। टीडीएस को फार्म **26QB** आनलाईन भरकर जमा कराना होगा और टीडीएस सर्टिफिकेट फार्म **16B** में जारी करना होगा। खरीदार को सरकारी खाते मे आयकर जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
एफ. बोली केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत की जाएगी।
जी. प्राधिकृत अधिकारी का उक्त ई-नीलामी को बिना किसी कारण बताए रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।
एच. आरक्षित मूल्य से कम से कम एक वृद्धि राशि जोड़ने पर ही बोली स्वीकार होगी।

दिनांक : 16.10.2026, स्थान: इन्दौर

प्राधिकृत अधिकारी: बैंक ऑफ इंडिया